

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति (तहसीलदार)
 मिसल नं. :::: 01/2023
 सरकार बनाम देवप्रकाश, सुनिल, संजय पुत्रगण सुभाषचन्द्र,
 जाति-जाट, निवासी-पारसनगर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 25.01.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल सुनील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान देवप्रकाश, सुनिल, संजय पुत्रगण सुभाषचन्द्र, जाति-जाट, निवासी- पारसनगर द्वारा रोही मौजा पारसनगर की राजकीय भूमि ख.नं. 26 के कुल रकबा 8.10 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है0 भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से सुनिल ने हाजिर अदालत होकर स्वयं एवं अपने भाईयों की ओर से जवाब नोटिस पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। जिसमें उसने अपना पुराना कब्जा बताया। अपने कब्जे के समर्थन में विद्युत बिल की प्रति संलग्न की है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 19 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वि०वर्ष 22-23 के शाले पत्र
 के पूरे त० 25 पर राशि 19/11
 कोश सुमित की शर्त
 MS/PA

(स्वाति)
 तहसीलदार, सूरजगढ़